Witness No. ....07.......... for ......अभियोजन साक्षी........... deposition taken the 07.02.2023 day of मंगलवार Witness's apparent age 55 वर्ष ....

States on affirmation शपथपूर्वक My name is ....कदम कुंवर..........
w/ of स्व० श्री अमर सिंह .... occupation .... मजदूरी ....
address. ग्राम अमझर, थाना-पसान, जिला-कोरबा (छ०ग०)

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री विश्वजीत देवनाथ**,** ए०पी०पी० वास्ते अभियोजन।

1/ मेरे पति का नाम स्व० अमर सिंह है। उसका दो विवाह हुआ था, पहली पत्नी से एक लड़का हरि सिंह है। मेरी ओर से दो लड़के शुकुल सिंह और ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश की मृत्यु घटना के 2 माह पूर्व हो चुकी थी, उसकी पत्नी शीश कली मेरे साथ रहती है। दूसरा लड़का शुकुल मेरे घर के बगल में ही रहता है। स्वतः कहा एक ही घर है, बीच में एक आहाता बना हुआ है। मैं विडियो कान्फ्रेसिंग से उपस्थित आरोपी को जानती हूं। वह कुमान का लड़का है।
2/ कुमान की पत्नी कुमान के अस्वस्थ होने के कारण मुझ पर टोनही होने की शंका करती थी। स्वतः कहा मुझसे इस बारे में कुछ कभी नहीं कहा है, परंतु मेरी बहू शीश कली को वह कहती थी, कि मैंने उसे जादू टोना किया है। घटना दिनांक को शीश कली ग्राम चुल्हन शादी विवाह में गयी थी। मैं घटना दिनांक को रात में 9.00 बजे के लगभग खाना खाकर अपने घर में सोयी थी, घर के एक तरफ दरवाजा लगा हुआ है, उसे लगा दी थी, दूसरी तरफ खुला था। दूसरे तरफ घर में शुकुल और उसकी पत्नी भी सोये थे। रात में 1-2 बजे के लगभग मैं सोई हुयी थी, इसलिए आते समय किसी को नहीं देखी थी परंतु मेरे सिर के पास राजाराम बैठकर गडासा से मेरा गर्दन काटने लगा था, तब मैंने उसे देखा था। उसके साथ दूसरा लड़का राम प्रसाद था, जो मेरा पैर पकड़ा हुआ था। मैंने दोनों को देखा और पहचाना था। मैं बचाने के लिए दो बार चिल्लाई तब शुकुल वहां आया था, बचाव के लिए जब मैं छटपटाई थी, तब मेरे हाथ में भी गडासे से चोट आयी थी, कहते हुए साक्षी अपना हाथ दिखाती है। शुकुल जब टार्च लेकर आया था, तब दोनों भाग गये थे। शुकुल भी दोनों लड़कों को देखा और पहचाना था, फिर मैं उसके आने के बाद बेहोश हो गयी, फिर मेरे को अस्पताल लेकर गये थे।
3/ आरोपीगण ने कुमान सिंह को जादू टोना किये जाने की शंका के कारण मेरी हत्या करने का प्रयास किया था। पुलिस ने मुझसे पूछताछ कर मेरा बयान लिया था।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्रीमती संगीता श्रीवास्तव अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त

4/ यह कहना गलत है कि कुमान की पत्नी ने कुमान को मेरे द्वारा टोना किये जाने वाली बात मुझे कभी नहीं कही है। यह कहना सही है कि मैं घटना दिनांक को अपने घर के परछी में सोई थी। यह कहना सही है कि घटना दिनांक को पानी भी गिरा था। स्वतः कहा हल्का फुल्का गिरा था। यह कहना सही है कि घटना रात के अंधियारे की है। स्वतः कहा लाईट जल रहा था, इसलिए पहचानी थी। यह कहना सही है कि रात में अंधेरा होने के कारण ही शुकुल टार्च लेकर आया था। स्वतः कहा रात में लड़के लोग टार्च लेकर ही सोते है। यह कहना गलत है कि मैंने नींद में होने के कारण मेरे गर्दन काटने वाले को नहीं पहचाना था। यह कहना गलत है कि जिसने मेरा पैर पकड़ा था, उसको मैंने नहीं देखी थी। साक्षी से पुलिस ने कब पूछताछ किया पूछे जाने पर साक्षी का कहना है कि बिलासपुर से आयी

थी, तब पुलिस ने आकर मेरा हालचाल लिया था और उसके बाद फिर से पुलिस वाले आये थे, तब मेरा बयान लिये थे।

5/ यह कहना गलत है कि आरोपी ने कभी भी मुझे कुमान सिंह को जादू टोना किये हो, कहकर नहीं कहा है। यह कहना सही है कि घटना के पूर्व मेरा आरोपीगण से झगड़ा हुआ था। यह कहना गलत है कि मैं उक्त झगड़ा के कारण ही मैं आरोपी द्वारा घटना किये जाने की बात झूठा बता रही हूं।

साक्षी का पढ़कर सुनाया गया
सही होना स्वीकार किया।

सही/-

जितेन्द्र कुमार सिंह
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
कटघोरा, जिला-कोरबा (छ0ग0)

मेरे कहने पर टंकण किया गया।

सही/-

जितेन्द्र कुमार सिंह
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
कटघोरा, जिला-कोरबा (छ0ग0)